

संयुक्त प्रान्त कपास नाशिकीट नियन्त्रण अधिनियम, 1936
{संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं0 11, 1936}

THE UNITED PROVINCES COTTON PEST CONTROL ACT, 1936
[U. P. ACT No. XI OF 1936]

संयुक्त प्रान्त कपास नाशिकीट नियन्त्रण अधिनियम, 1936¹

{संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 11, 1936}

गवर्नमेन्ट आफ इंडिया (एडप्टेशन आफ इंडियन लाज) आर्डर, 1937 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत

एडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत।

{गवर्नर ने 4 दिसम्बर, 1936 तथा गवर्नर जनरल ने 20 जनवरी, 1937 को स्वीकृति प्रदान की तथा गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट, 1919 की धारा 81 के अधीन 6 फरवरी, 1937 को प्रकाशित² हुआ।}

कपास के बीज के उचित समुपचार की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

यह इष्टकर है कि कपास की फसलों को, शलभ प्लेटयेज़ा गासीपिला सूण्ड के, जिसे सामान्यतः गुलाबी सूंडी कहा जाता है, लार्वा के आक्रमण से क्षति न पहुंचने देने के उद्देश्य से कपास के बीज के उचित समुपचार की व्यवस्था की जाय, और इस अधिनियम को पारित करने के लिए गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट की धारा 80-ए की उपधारा (3) के अधीन गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जा चुकी है,

प्रस्तावना

अतः एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

1-- (1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त कपास नाशिकीट नियन्त्रण अधिनियम, 1936 कहलाएगा।

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार³ सम्पूर्ण {उत्तर प्रदेश}⁴ {***}⁵ में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक⁶ या दिनाकों को तथा {उत्तर प्रदेश}⁴ के ऐसे भागों में प्रवृत्त होगा जैसा कि {राज्य सरकार}⁷ सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर निदेश दे।

2-- जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में –

परिभाषायें

(क) “नियन्त्रित क्षेत्र” का तात्पर्य {उत्तर प्रदेश}⁴ के किसी ऐसे भाग से है जिसमें यह अधिनियम धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के आधार पर प्रवृत्त हो,

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए असाधारण गजट, दिनांक 18 जून, 1936 पृष्ठ 6-7 देखिए,
2. गजट 1936, भाग 7 पृष्ठ 1-6 देखिए।
3. इस अधिनियम का विस्तार इस सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित क्षेत्रों में, स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिनियम या आर्डर के अधीन किया गया है और इसे ऐसे क्षेत्रों में, स्तम्भ 3 में उल्लिखित विज्ञप्ति, यदि कोई हो, के अधीन उस दिनांक से जो प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के सामने स्तम्भ 4 में उल्लिखित है, प्रवृत्त किया गया है।

क्षेत्र	अधिनियम अथवा आदेश जिनके अन्तर्गत प्रसारित किए गए	विज्ञप्ति यदि कोई है जिनके अन्तर्गत प्रभावी किया गया	तिथि जिससे प्रभावी किया गया
1 जिला रामपुर	रामपुर (एप्लीकेशन आफ लाज,) ऐक्ट, 1950		30 दिसम्बर, 1949
2 जिला बनारस	बनारस (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1949	3262/17 , दिनांक 30 नवम्बर, 1949	30 नवम्बर, 1949
3 जिला टेहरी गढ़वाल	टेहरी-गढ़वाल (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1949	तदेव	तदेव

4. एडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त द्वारा शब्द (आफ आगरा ऐन्ड अवध) निकाले गए।
6. यह अधिनियम 1 अक्टूबर, 1939 से प्रवृत्त हुआ।
7. एडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्रोविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित जिसे एडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित किया गया था।

(ख) "विहित" के तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन विहित से है,

(ग) "अपरिष्कृत कपास" का तात्पर्य के पौधे के बिना ओटे हुए गुच्छे से है, जिसे सामान्यतः कपास कहा जाता है,

(घ) "बीज" का तात्पर्य कपास के पौधे के बीज से है,

(ङ.) "हाथ से ओटने" का तात्पर्य ऐसे साधित्र द्वारा ओटने से है, जो मानव शक्ति से प्रचालित होता हो,

(च) अपने वैयाकरणिक रूप-भेदों और सजातीय पदों सहित "समुपचार" का तात्पर्य बीज को किसी नाशिकीट के संक्रम से मुक्त करने के प्रयोजनों के लिए, विहित प्रक्रिया के अधीन करने से है।

3— किसी नियन्त्रित क्षेत्र में अपरिष्कृत कपास का, चाहे उक्त क्षेत्र में उसका उत्पादन किया गया हो या आयात किया गया हो, प्रत्येक स्वामी ऐसे दिनांक के पूर्व, जिसे विहित किया जायगा और जो ऐसे उत्पादन या आयात के अगले मार्च के सोलहवें दिन के बाद का न होगा उसे ओटवाएगा :

अपरिष्कृत कपास का ओटा जाना

प्रतिबन्ध यह है कि कोई दिनांक, जो अप्रैल के प्रथम दिन के बाद का न हो, ऐसे अन्तिम दिनांक के रूप में विहित किया जा सकेगा, जिस तक कि ऐसा परिष्कृत कपास हाथ में ओटा जा सकेगा।

4— धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी नियन्त्रित क्षेत्र में बीज का प्रत्येक स्वामी, चाहे ऐसे बीज का उस क्षेत्र में उत्पादन किया गया हो, या आयात किया गया हो और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी अपरिष्कृत कपास को ओटने का कार्य अपने हाथ में लिया हो, ऐसे दिनांक के पूर्व, जो विहित किया जायेगा और जो धारा 3 में पूर्व निर्दिष्ट विहित दिनांक के पश्चात् के सात दिन के बाद का न होगा, ऐसे बीज का समुपचार ऐसे ढंग से कराएगा, जो विहित किया जाय :

बीज का समुपचार

प्रतिबन्ध यह है कि सूर्य की धूप में सुखाकर बीज का समुपचार करने के प्रयोजन के लिए विहित दिनांक अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व का और मई के पन्द्रहवें दिन के बाद का नहीं होगा।

5— कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे बीज का, जिसका विहित रीति से समुपचार न किया गया हो, विक्रय या अन्यथा व्यय न करेगा :

असमुपचारित बीज के व्ययन का प्रतिषेध

प्रतिबन्ध यह है कि हाथ से ओटे गए बीज का किसी वर्ष में, अक्टूबर के प्रथम दिन और अगले मार्च के पन्द्रहवें दिन के बीच विक्रय या अन्यथा व्ययन किया जा सकेगा।

6— कोई भी व्यक्ति ऐसे बीज को, जिसका धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार समुपचार न किया गया हो, न बोएगा, न बोवाएगा।

असमुपचारित बीज को बोने का प्रतिषेध

7— (1) कोई भी व्यक्ति किसी नियन्त्रित क्षेत्र में कोई अपरिष्कृत कपास, धारा 3 में पूर्व निर्दिष्ट विहित दिनांक के पश्चात् और अगले सितम्बर के पन्द्रहवें दिन तक अथवा कोई बीज किसी भी समय, रेल द्वारा और बन्द वैगनों में तथा इस अधिनियम के अधीन दिए गए लाइसेन्स के निर्बन्धनों के अनुसार ही आयात करेगा या कराएगा, अन्यथा नहीं :

नियन्त्रित क्षेत्र में अपरिष्कृत कपास या बीज का आयात

प्रतिबन्ध यह है कि यह उपधारा ऐसे अपरिष्कृत कपास या बीज पर, जिसे रेलवे द्वारा बन्द वैगनों में ऐसे क्षेत्र से होकर प्रवाहित किया जा रहा हो और अभिवहन के सामान्य क्रम में यानान्तरण के प्रयोजनों के सिवाय, ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी स्थान पर न उतारा जाय, लागू न होगी।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार किसी नियन्त्रित क्षेत्र में किसी अपरिष्कृत कपास या बीज का आयात करता हो या कराता हो, उसके उक्त क्षेत्र के भीतर पहुंचने के पूर्व किसी ऐसे स्थान में जो लाइसेन्स में विनिर्दिष्ट किया जायगा, उसकी ओटाई और समुपचार के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा और उसके पहुंचने पर तत्काल ही उसे उक्त स्थान को प्रवहित कराएगा और उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार उसे वहां ओटवाएगा और उसका समुपचार कराएगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यह उपधारा किसी नियन्त्रित क्षेत्र में किसी अन्य नियन्त्रित क्षेत्र से इस प्रकार आयात किए गए किसी ऐसे बीज पर लागू नहीं होगी, जिसके सम्बन्ध में विहित रीति से यह प्रमाणित किया गया हो कि उसका ऐसे अन्य नियन्त्रित क्षेत्र में पहले ही समुपचार किया जा चुका है।

(3) किसी ऐसे बीज की दशा में, जो किसी वर्ष में सितम्बर के पन्द्रहवें दिन के पश्चात् और धारा 3 में पूर्व निर्दिष्ट विहित दिनांक को या उससे पूर्व आयात किया गया हो, उपधारा (2) में उपबन्धित समुपचार, इस उपबन्ध के अधीन रहते हुए कि समुपचार पूर्वोक्त विहित दिनांक के अड़तालीस घंटे तक पूरा हो जाए, लाइसेन्स में विनिर्दिष्ट स्थान पर उसके पहुंचने के चौदह दिन के भीतर पूरा किया जायगा; और

(4) यदि अपरिष्कृत कपास या बीज की दशा में, जिसे धारा 3 के पूर्व निर्दिष्ट विहित दिनांक के बाद और अगले सितम्बर के पन्द्रहवें दिन तक आयात किया गया हो, उपधारा (2) में उपबन्धित ओटाई और समुपचार, लाइसेन्स में विनिर्दिष्ट स्थान पर उसके पहुंचने के अड़तालीस घंटे के भीतर, पूरा किया जायगा।

8— यदि ओटने वालों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर या अन्यथा, [राज्य सरकार]¹ का यह समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के उपबन्धों के लागू होने से नियन्त्रित क्षेत्र के भीतर ओटने वालों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तो वह ऐसा आदेश कर सकेगी, जिससे यह प्रतिषेध किया गया हो ऐसे कालावधियों के दौरान, जिन्हें उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय, उस नियन्त्रित क्षेत्र से अपरिष्कृत कपास या निर्यात, इस अधिनियम के अधीन दिए गए लाइसेन्स के निबन्धनों के अनुसार किए जाने के सिवाय नहीं किया जायेगा और वह ऐसे आदेश को किसी भी समय निरसित कर सकेगी।

नियन्त्रित क्षेत्र से अपरिष्कृत कपास का निर्यात

9— ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो बीज का समुपचार, सूर्य की धूप में सुखा कर करने से अन्यथा, करने का कार्य अपने हाथ में लेता है, ऐसे अभिलेख रजिस्टर और लेखे रखेगा, जो विहित किए जाएं।

रजिस्ट्रों का रख जाना

10— (1) [राज्य सरकार]¹ इस अधिनियम द्वारा या तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा निरीक्षक को समनुदिष्ट सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने तथा सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह ठीक समझे, निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी और उन स्थानीय सीमाओं को परिनिश्चित कर सकेगी, जिनके भीतर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन किया जा सकेगा।

निरीक्षकों की नियुक्ति और शक्तियां

(2) कोई भी निरीक्षक ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो तदर्थ बनाए जाएं —

(एक) ऐसे समस्त स्थानों में प्रवेश कर सकेगा और उनका निरीक्षण कर सकेगा, जिनमें अपरिष्कृत कपास की ओटाई या विक्रय अथवा बीज के समुपचार या विक्रय के सम्बन्धित कोई कारोबार किया जाता हो;

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित जिसे एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित किया गया था।

(दो) बीज के समुपचार के लिए लगाई गई किसी मशीनरी की परीक्षा कर सकेगा,

(तीन) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि किसी बीज का प्रभावकारी ढंग से समुपचार किया गया है या नहीं (समुपचार के पूर्व या पश्चात्) उसकी परीक्षा कर सकेगा।

(चार) किन्हीं ऐसे अभिलेखों या रजिस्ट्रों या लेखाओं की, जिनका रखा, जाना विहित हो, परीक्षा कर सकेगा,

(पाँच) किन्हीं ऐसे भू-गृहादि में जिनके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उनमें अपरिष्कृत कपास या बीज इस अधिनियम का या तद्धीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करके रखा जा रहा है, बिना वारन्ट के प्रवेश कर सकेगा और उनकी तलाशी ले सकेगा, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा प्रवेश और ऐसी तलाशी किसी ऐसे निरीक्षक द्वारा, जो राजपत्रित अधिकारी हो, या उसके लिखित प्राधिकार के अधीन की जाने के सिवाय नहीं की जाएगी,

(छः) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो विहित की जाए।

11— जो कोई धारा 3 से 7 तक में से किसी धारा के और धारा 9 या धारा 8 के अधीन किए गए किसी आदेश के, उपबन्धों का उल्लंघन करके कोई कार्य करेगा या बिना उचित कारण के कोई बात करने का लोप करेगा, वह प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर—

शास्तियां

(क) उसी धारा का उल्लंघन करके किए गए प्रथम अपराध के लिए या द्वितीय अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक सौ रुपए से अधिक न होगा, और

(ख) उसी धारा का उल्लंघन करके किए गए तृतीय या पश्चात्तर्वर्ती अपराध के लिए जुमाने से जो पांच सौ रुपए से अधिक न होगा,

दण्डनीय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जब कोई व्यक्ति उक्त धाराओं में से किसी धारा का उल्लंघन करके किए गए प्रथम अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाय, तो मजिस्ट्रेट उसे जुर्माने का दंडादेश देने के बजाय भर्त्सना के पश्चात् निर्मुक्त कर सकेगा।

12— (1) जब कभी कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो जो—

(क) धारा 3,

(ख) धारा 4,

(ग) धारा 6, या

(घ) धारा 7;

का उल्लंघन करके किए गए कार्य या लोप से हुआ हो तो मजिस्ट्रेट दंडादेश देने के, या भर्त्सन के पश्चात् अपराधी को निर्मुक्त करने के समय अपराधी को यह निदेश देने वाला आदेश भी करेगा कि वह—

यथापूर्वोक्त (क) की दशा में, उतने समय के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, उस अपरिष्कृत कपास को जिनके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो, ओटवाए और इस प्रकार प्राप्त बीज का समुपचार करवाए,

यथापूर्वोक्त (ख) की दशा में, उस बीज का जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो, उतने समय के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय या तो समुपचार कराए, या उसे सम्बन्धित नियन्त्रित क्षेत्र से चौबीस घंटे के भीतर हटवाए,

यथापूर्वोक्त (ग) की दशा में, उस भूमि में जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो उतने समय के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, हल चलवाए, या

ऐसे अपरिष्कृत कपास का बीज के व्ययन के लिए जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया हो, मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश

यथापूर्वोक्त (घ) की दशा में, उस अपरिष्कृत कपास को या उस बीज को, जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो, सम्बन्धित नियन्त्रित क्षेत्र से चौबीस घंटे के भीतर हटवाए।

(2) यदि अपराधी उपधारा (1) के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश का विनिर्दिष्ट समय के भीतर पालन करने में असफल रहे तो, मजिस्ट्रेट ऐसे अधिकारी को, जो तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, निदेश देगा कि वह आदेश को तुरन्त निष्पादित करे या यथापूर्वोक्त (क), (ख) या (घ) की दशा में, स्वविकेकानुसार, उक्त अपरिष्कृत कपास या बीज को जलवा कर नष्ट कराए और इस निदेश को कार्यान्वित करने में उक्त अपरिष्कृत कपास या बीज को जलवा कर नष्ट कराए और इस निदेश को कार्यान्वित करने में उक्त अधिकारी द्वारा उपगत समस्त व्ययों की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को की जाएगी और वे उसके आदेश के अधीन अपराधी से, किसी ऐसे जुर्माने के अतिरिक्त जिसका दंडादेश उसे दिया गया हो, जुर्माने की वसूली के लिए विधि द्वारा उपबन्धित रीति से वसूल किए जायेंगे।

13— (1) {राज्य सरकार}¹ निम्नलिखित विषयों के बारे में इस अधिनियम से संगत नियम बनाएगी, अर्थात्—

नियम बनाने की शक्ति

(क) उन दिनाकों को नियत करना, जिन तक कि अपरिष्कृत कपास की ओटाई कर दी जायगी, वे प्राधिकारी जिनके द्वारा ऐसे दिनांक नियत किए जायेंगे और वह रीति, जिससे वे प्रकाशित किए जायेंगे,

(ख) उन दिनाकों को नियत करना जिन तक कि बीज का समुपचार कर दिया जायगा, वे प्राधिकारी, जिनके द्वारा ऐसे दिनांक नियत किए जायेंगे और वह रीति जिससे वे प्रकाशित किए जायेंगे, और

(ग) वे ढंग, जिनसे और वह रीति जिससे, बीज का समुपचार किया जायगा।

(2) {राज्य सरकार}¹ अन्य विषयों के सम्बन्ध में ऐसे नियम बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(3) विशिष्टतः और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे। —

(क) वे शर्तें जिन पर और वे परिस्थितियां, जिनमें कोई क्षेत्र नियन्त्रित क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा,

(ख) धारा 7 के अधीन लाइसेन्सों और प्रमाण-पत्रों का दिया जाना, वे प्राधिकारी जिनके द्वारा ऐसे लाइसेन्स और प्रमाण-पत्र दिए जा सकेंगे, और ऐसे लाइसेन्सों की शर्तें,

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन आयात किए गए बीज के समुपचार के लिए लाइसेन्सों में स्थानों का विनिर्देश,

(घ) वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा और वे शर्तें जिनके अधीन कोई लाइसेन्स, किसी नियन्त्रित क्षेत्र से अपरिष्कृत कपास के निर्यात के लिए, दिया जा सकेगा, विहित किया जाना,

(ङ) धारा 9 के उपबन्धों के अनुसार अभिलेखों, रजिस्ट्रों और लेखाओं का रखा जाना,

(च) निरीक्षकों की नियुक्ति और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उनके द्वारा प्रयोग और उन्हें ऐसी अन्य शक्तियों का प्रदान किया जाना, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों,

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित जिसे एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।

(छ) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन न्यायालय के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए अधिकारियों को सशक्त करना और वह रीति, जिससे ऐसे आदेश कार्यान्वित किए जायेंगे; और

(ज) {राज्य सरकार}¹ द्वारा अपनी शक्तियों का प्रतिनिहित किया जाना।

(4) उन नियमों का प्रारूप, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन बनाने की प्रस्थापना हो, राज्य {विधान मण्डल के दोनों सदनों}² के समक्ष रखा जायगा और नियमों को उस समय तक अन्तिम रूप से नहीं बनाया जायगा जब तक कि {विधान मण्डल के दोनों सदनों को}³ उन पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न मिला हो।

(5) ऐसे सभी नियम {सरकारी गजट}⁴ में प्रकाशित किए जायेंगे और जब तक कि कोई पश्चात्पूर्ति दिनांक न नियत किया जाय, ऐसे प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होंगे।

14— (1) {राज्य सरकार}¹ धारा 13 के अधीन नियम बनाने की शक्ति के सिवाय इस अधिनियम के अधीन की अपनी शक्तियों में से ऐसी शक्तियाँ, जो वह ठीक समझें, सम्भागीय आयुक्त या कृषि निदेशक या जिला अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रतिनिहित कर सकेगी।

शक्तियों का प्रतिहित किया जाना

15— कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण

-
1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित जिसे एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।
 2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (बीथ चैम्बर्स आफ दि प्राविन्शियल लेजिस्लेचर) के लिये प्रतिस्थापित जिसे एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लेजिस्लेटिव चैम्बर) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।
 3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (बीथ चैम्बर्स आफ लेजिस्लेचर) के लिए प्रतिस्थापित।
 4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (गवर्नमेन्ट गजट) के लिए प्रतिस्थापित।

THE UNITED PROVINCES COTTON PEST CONTROL ACT, 1936¹ [U. P. ACT NO. XI OF 1936]

Adapted and modified by the Government of India (Adaptation of Indian Laws) Order, 1937
Adapted and modified by the Adaptation of Laws Order, 1950

[Received the assent of the Governor on December 4, 1936, and of the Governor General on January 20, 1937 and was published² under section 81 of the Government of India Act, 1919, on February 6, 1937.]

AN

ACT

to provide for the proper treatment of cotton seed

Preamble- WHEREAS it is expedient to provide for the proper treatment of cotton seed in order to avoid damage to cotton crops by the attacks of the larva of the moth *Platyedra gossypiella* Sund, commonly known as the Pink Bollworm, and whereas the previous sanction of the Governor General has been obtained under sub-section (3), of section 80-A of the Government of India Act to the passing of this Act;

It is hereby enacted as follows :

- | | | |
|--|----|---|
| Short title,
extent and
commencement | 1. | (1) This Act may be called the United Provinces Cotton Pest Control Act, 1936.
(2) It extends ³ to the whole of [Uttar Pradesh] ⁴ [****] ⁵
(3) It shall come into force on such date ⁶ or dates and in such parts of [Uttar Pradesh] ⁴ as the [State Government] ⁷ may, by notification in the official Gazette, from time to time, direct. |
| Definitions | 2. | In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-
(a) "controlled area" means any part of [Uttar Pradesh] ⁴ in which the Act is in force by virtue of a notification issued under sub-section (3) of section 1; |

1. For S O R see Gaz., Extra. dated June 18, 1936, pp. 6-7.

2. See Gaz.; 1936, Pt. VII, pp. 1-6.

3. This Act has been extended to the areas mentioned in column 1 of this table under the Act or Order mentioned in column 2 and enforced in such areas under notification, if any, mentioned in column 3 with effect from the date mentioned in column 4 against each such area.

Areas	Act or Order under which extended	Notification, if any, under which enforced	Date from which enforced
1	2	3	4
1. Rampur district	Rampur (Applicaton of Laws) Act, 1950.	No. 3262/XVII and	December 30, 1949
2. Banaras district	Banaras (Applicaton of Laws) Act, 1949.	32-2(1)/XVII	November 30, 1949
3. Tehri-Garhwal district	Tehri-Garhwal (Applicaton of Laws) Act, 1949.	Ditto	Ditto

4. Subs by the A. O. 1950 for (the United Provinces).

5. The words (of Agra and Oudh) omit. by *ibid*.

6. The Act came in force on Oct. 1, 1939.

7. Subs by the A.O. 1960 for (Provincial Government) which had been subs, by the A. O. 1937 (for L.G.).

- (b) "prescribed" means prescribed by or under rules framed under this Act;
- (c) "raw cotton" means the unginning locks of the cotton plant commonly known as kapas ;
- (d) "seed" means the seed of the cotton plant. ;
- (e) "hand ginning" means ginning by means of apparatus operated by human power;
- (f) "treat" with its grammatical variations and cognate expressions means to subject seed to a prescribed process for the purposes of freeing it from infection by a pest.

Ginning of cotton 3. In any controlled area every owner of raw cotton whether produced in or imported into that area, shall cause it to be ginned before such date as shall be prescribed, being not later than the sixteenth day of March next following such production or importation :

Provided that a date not later than the first day of April may be prescribed as the latest date by which such raw cotton may be hand ginned.

Treatment of seed 4. Subject to the provisions of section 7, every owner of seed in any controlled area, whether such seed has been produced in or imported into that area, and every person who has undertaken the ginning of any raw cotton on behalf of another, shall before a date, which shall be prescribed, being not later than seven days after the prescribed date first referred to in section 3, cause such seed to be treated by such method as shall be prescribed :

Provided that for the purpose of treatment of seed by exposure to the heat of the sun the date prescribed shall be not earlier than the first day of April and not later than the fifteenth day of May.

Prohibition of disposal of untreated seed 5. No person shall sell or otherwise dispose of any seed which has not been treated in the prescribed manner :

Provided that untreated hand-ginned seed may be sold or otherwise disposed of between the first day of October in any year and the fifteenth day of March next following.

Prohibition of sowing of untreated seed 6. No person shall sow or cause to be sown any seed which has not been treated in accordance with the provisions of section 4.

Import of raw cotton or seed into controlled area 7. (1) No person shall import or cause to be imported into a controlled area any raw cotton after the prescribed date first referred to in section 3 and not later than the fifteenth day of September next following, or any seed at any time, except by railway and in closed wagons and except in accordance with the terms of a licence issued under this Act :

Provided that this sub-section shall not apply to raw cotton or seed conveyed by railway through such area in closed wagons and not unloaded at any place within area for the purpose of transshipment in the ordinary course of transit.

- (2) Every person importing or causing to be imported any raw cotton or seed into a controlled area in accordance with the provisions of sub-section (1) shall before its arrival within the said area make adequate arrangements for its ginning and treatment at a place to be specified in the licence and on its arrival shall forthwith cause it to be conveyed to the said place and there ginned and treated in accordance with the provisions of sub-section (3) :

Provided that this sub-section shall not apply to any seed to be so imported into a controlled area from any other controlled area, in respect of which seed it has been certified in the prescribed manner that it has already been treated in such other controlled area.

- (3) In the case of any seed imported after the fifteenth day of September in any year and on or before the prescribed date first referred to in section 3, the treatment provided for in sub-section (2) shall be completed within fourteen days of its arrival at the place specified in the licence, subject to the provision that the treatment shall be completed not later than forty-eight hours after the prescribed date aforesaid, and
- (4) In the case of raw cotton or seed imported after the prescribed date first referred to in section 3 and not later than the fifteenth day of September next following the ginning and treatment provided for in sub-section (2) shall be completed within forty-eight hours of its arrival at the place specified in the licence.

Export of raw cotton from controlled area 8. The [State Government]¹ may, if it is satisfied, on receipt of representation from ginner, or otherwise, that the application of the provisions of this Act 'has adversely affected the interests of ginner within a controlled area, pass an order prohibiting, during such period as may be specified therein, the export of raw cotton from that controlled area, except in accordance with the terms of a licence issued under this Act and may at any time cancel such order.

Maintenance of registers 9. Every person who undertakes the treatment of seed other wise than by exposure to the heat of the sun shall maintain such records, registers and accounts as may be prescribed.

Appointment and power of inspectors 10. (1) The [State Government]¹ may appoint such persons as it thinks fit to exercise all or any of the powers and perform all or any of the duties assigned to an inspector by this Act or by rules made thereunder and may define the local limits within which such powers and duties may be exercised and performed.

(2) Any inspector may, subject to such rules as may be made in this behalf-

- (i) enter and inspect all places in which any business connected with the ginning or sale of raw cotton or t he treatment or sale of seed is carried on ;

1. Subs. by the A. O. 1950 for (Provincial Govt.) which had been subs. by the A. O. 1937 for (L. G.).

- (ii) examine any machinery installed for the treatment of seed;
- (iii) examine any seed (before or after treatment) for the purpose of ascertaining whether it has been effectively treated;
- (iv) examine any records or registers or accounts the maintenance of which is prescribed; .
- (v) enter and search without warrant any premises in which he has reason to believe that raw cotton or seed is being kept in contravention of this Act or the rules framed thereunder, provided that no such entry and search shall be made except by, or under the written authority of, an inspector who is a gazetted officer;
- (vi) exercise such other powers as may be prescribed.

Penalties

11. Whoever does any act, or without reasonable cause omits to do anything, in contravention of the provisions of any of sections 3 to 7 and 9 or of an order passed under section 8 shall be liable on conviction before a magistrate of the first class-
- (a) for a first offence or for a second offence in contravention of the same section to a fine not exceeding one hundred rupees, and
 - (b) for a third or subsequent offence in contravention of the same section to a fine not exceeding five hundred rupees :

Provided that when any person is convicted of a first offence in contravention of any of the said sections the magistrate may instead of sentencing him to fine release him after admonition.

Orders by
magistrate for
disposal of raw
cotton or seed
in respect of
which an
offence has
been committed

12. (1) Whenever any person has been convicted of an offence consisting of act or omission in contravention of-
- (a) section 3,
 - (b) section 4,
 - (c) section 6, or
 - (d) section 7,

the magistrate at the time of passing sentence or of releasing the offender after admonition shall also pass an order directing the offender----

in case of (a) as aforesaid, to cause the raw cotton in respect of which the offence has been committed to be ginned, and the seed so obtained to be treated, within such time as shall be specified in the order,

in case of (b) as aforesaid, either to cause the seed in respect of which the offence has been committed to be treated within such time as shall be specified in the order or to cause it to be removed from the controlled area concerned within twenty- four hours,

in case of (c) as aforesaid, to cause the land in respect of which the offence has been committed to be ploughed over within such time as shall be specified in the order, or

in case of (d) as aforesaid, to cause the raw cotton or seed in respect of which the offence has been committed to be removed from the controlled area concerned within twenty- four hours.

- (2) If the offender has failed to comply with the order passed by the Magistrate under sub-section (1) within the time specified, the magistrate shall direct such officer as may be empowered in this behalf to execute the order forthwith or in his discretion, in case of (a), (b) of (d) as aforesaid, to cause the said raw cotton or seed to be destroyed by burning and all expenses incurred by the said officer in carrying out. this direction shall be reported to the magistrate and under his order shall be-recovered from the offender in the manner provided by law for the recovery of fines, in addition to any fine which the offender may have" been sentenced.

- Power to make rules 13. (1) The [State Government]¹ shall make rules consistent with this Act in respect of the following matter; namely-
- (a) the fixing of dates by which raw cotton shall be ginned, the authorities by which such dates shall be fixed and the manner in which they shall be published;
 - (b) the fixing of dates by which seed shall be treated, the authorities by which such dates shall be fixed and the manner in which they shall be published; and
 - (c) the methods by, and the manner in which seed shall be treated.
- (2) The, [State Government]¹ may make such rules in respect of other matters as may be necessary for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.
- (3) In particular and without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (2) such rules may provide for-
- (a) the conditions on and circumstances in which an area may be declared to be a controlled area,
 - (b) the issue of licences and certificates under section 7, the authorities by whom such licences and certificates may be issued, and the conditions of such licences,
 - (c) the specification in licences of places for the treatment of seed imported under sub-section (1) of section 7,
 - (d) prescribing the authority by whom and the conditions under which a licence may be issued for the export of raw cotton from a controlled area,
 - (e) the maintenance of records, registers and accounts according to the provisions of section 9,
 - (f) the appointment of inspectors and the exercise by them of the powers conferred by section 10 and the conferring on them such other powers as may be necessary for the purposes of this Act,

¹-Subs, by the A. O. 1950 for (provl. Govt.) which had been subs. by the A. O. 1937 for (L.G.).

(g) the empowering of officers to carry out the orders of the court under sub-section (2) of section 12 and the manner in which such orders shall be carried out; and

(h) the delegation of its powers by the [State Government]¹.

(4) A draft of rules, which it is proposed to make under this Act, shall be laid before [both Houses of the State Legislatures]² and the rules shall not be finally made until [both Houses of the State Legislature have]³ had an opportunity of expressing an opinion on them.

(5) All such rules shall be published in the [Official Gazette]⁴ and shall, unless some later date is appointed, come into force on the date of such publication.

Delegation of powers 14. The State Government may delegate such of its powers under this Act, as it thinks fit, save the power to make rules under section 13, to the Divisional Commissioner or the Director of Agriculture or to a District Officer, in accordance with rules framed under this Act.

Protection to persons acting under this Act 15. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

1Subs, by the A. O. 1950 for (Provincial Government) which had been subs. by the A. O. 1937 for (L.G.).

2. Subs. by the A. O; 1950 for (both Chambers of the Provincial Legislature) which has been subs. for (the L.C.) by the A. O. 1937.

3. Subs. by the A. O. 1950 for-(both Chambers of Legislature).

4. Subs. for (Government Gazette) by the A. O. 1937.